न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 73/2023 अपील (राजस्व)

GCMS No. 2023/104

सुरेश पिता भगवतीलाल डांगी निवासीः जुनावास (खेमली), तहसील–मावली, उदयपुर

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मावली दिनांक 16.04.2023
प्रकरण संख्या 372/2022

उपस्थित : श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 18/08/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 372/2022 आदेश दिनांक 16.04.2023 से नाराज होकर अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजा नान्दवेल तहसील मावली के आराजी संख्या 1674/680 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट का नाजायज कब्जा मानते हुए कथित निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट काश्तकार व्यक्ति होकर गरीब है तथा अपीलाण्ट सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। राजस्थान राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे का सेग्रीगेशन का कार्य किया गया जिस वजह से अपीलाण्ट की खातेदारी की कृषि भूमि के संदर्भ में जो राजस्व नक्शा, राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम किया गया वो अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये गलत तरीके से उसको सरकारी चारागाह भूमि राजस्व अभिलेख में दर्शा दिया गया जबकि अपीलाण्ट के पास ही स्थित खातेदारान एवं कब्जेधारी से भूमि को विक्रय ईकरार के जरिये खरीद कर कब्जा प्राप्त किया

जिला कलक्टर
उदयपुर

है ऐसी अवस्था में अपीलाण्ट ने सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है तथा पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना मौके पर बुलाये अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में मौके की रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की, कथित रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया वो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का कथित निर्णय अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जबकि अपीलाण्ट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट या उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति रहने बाबत कोई विधिक नोटिस अपीलांण्ट को नहीं भेजा गया जबकि दिनांक 21.09.2023 को अपीलाण्ट उक्त प्रकरण में पेशी बाबत् जानकारी करने हेतु गया तो कथित निर्णय की जानकारी हुई ऐसी अवस्था में अपीलाण्ट एकपक्षीय कार्यवाही को भी निरस्त कराने के साथ–साथ कथित निर्णय को अपास्त कराने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली का उक्त निर्णय दिनांक 16.04.2023 प्रकरण संख्या 372/2022 का नाजायज कब्जे को निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को आदेश फरमाया जावे कि प्रकरण में विधि अनुसार नये सिरे से अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णित करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी की गई। पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व गांव नान्दवेल तहसील मावली के आराजी संख्या 1674/680 रकबा 0.0100 हैक्टेयर का सेग्रीगेशन के कारण राजस्व रेकर्ड में चारागाह दर्ज कर दिया गया। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि अपीलाण्ट के पास स्थित खातेदारान एवं कब्जेधारी से विक्रय ईकरार के जरिये खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। अपीलाण्ट द्वारा सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा मानते हुए कथित निर्णय पारित किया गया है जो विधिं एवं न्याय के विपरित होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली का आदेश दिनांक 16.04.2023 को निरस्त फरमाया जावें।

उपस्थित अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी के कथनानुसार उक्त भूमि सेग्रीगेशन के कारण राजस्व रेकर्ड चारागाह दर्ज़ हुई है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राहत प्राप्त की

जिला कलक्टर
उदयपुर

जानी चाहिए थी। चारागाह भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली का जो आदेश पारित किया गया है वह न्यायोचित हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील में कथन किया है कि राजस्व गांव नान्दवेल तहसील मावली के आराजी संख्या 1674/680 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि जरिये विक्रय इक़रार खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। राजस्व रेकर्ड में सेग्रीगेशन के कारण उक्त भूमि चारागाह दर्ज हो गई परन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त भूमि सेग्रीगेशन के कारण चारागाह दर्ज हुई है। ना ही पत्रावली पर ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध है जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी द्वारा उक्त त्रुटि को सुधारने हेतु किसी सक्षम न्यायालय में चाराजोही की हो। राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त भूमि की किस्म चारागाह दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण किये जाने से तहसीलदार मावली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2023 विधिसंगत है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार मावली को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर